

(लोक सभा द्वारा 5.8.2019 को पारित रूप में)

2019 का विधेयक संख्यांक 191-सी

[दि सुप्रीम कोर्ट (नम्बर ऑफ जजेस) अमेंडमेंट बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

**उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 है ।

संक्षिप्त नाम ।

1956 का 55

5

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में, “तीस” शब्द के स्थान पर, “तीस” शब्द रखा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।